

103

210

न्यायालय श्रीमान् आयुक्त महोदय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर शृखला

न्यायालय रीवा (म.प्र.)

क्रमांक 2540-II-15



Re 201

विश्वनाथ तनय चंदी तेली उम्र 65 वर्ष पेशा खेती निवासी ग्राम चंदवाही थाना बहरी तहसील बहरी जिला सीधी (म.प्र.)

-----पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

1. ठाकुरदीन तनय लालू तेली उम्र 45 वर्ष पेशा खेती
2. प्रेमलाल तनय लालू तेली उम्र 50 वर्ष पेशा खेती
3. चर्तुभुज तनय चंदी तेली उम्र 60 वर्ष पेशा खेती
4. बट्टी दयाल सोनी तनय समयलाल सोनी उम्र 45 वर्ष पेशा खेती
5. चंदन सिंह तनय अवध प्रताप सिंह उम्र 40 वर्ष पेशा खेती
6. अम्बुज सिंह तनय अवधप्रताप सिंह उम्र 45 वर्ष पेशा खेती
7. प्रहलाद तेली तनय लालू तेली उम्र 55 वर्ष पेशा खेती
8. श्यामलाल तनय लालू तेली उम्र 50 वर्ष पेशा खेती

सभी निवासी ग्राम चंदवाही थाना बहरी तहसील बहरी जिला सीधी (म.प्र.)

9. म.प्र.शासन

-----गैरपुनरीक्षणकर्तागण

पुनरीक्षण विरुद्ध आदेश तहसीलदार तहसील बहरी के प्रकरण क्रमांक 29अ-5/2010-11 आदेश दिनांक 27.06.11

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.1959

लोकेश सिंह
07-07-15

14
कांटे रीषा

क्रमांक.....
राजस्व मंडल के आज
दिनांक..... प्राप्त

।।पुनरीक्षण के सूक्ष्म तथ्य।।

1. यह कि गैरपुनरीक्षणकर्ता क्र.1, 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्लाट नंबर 1 की कार्यवाही हेतु अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसमें मात्र म.प्र.शासन को पक्षकार बनाया गया था ।

2. यह कि आराजी ग्राम चंदवाही तहसील बहरी जिला सीधी स्थिति आराजी

Shinde



M

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक निग.2540 / II / 2015

जिला-सीधी

विश्वनाथ तेली / ठाकुरदीन तेली वगैरः

(1)	(2)	(3)
23.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री शारदा प्रसाद मिश्रा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, तहसील बहरी के प्रकरण क्रमांक 29/अ-5/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 27.06.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 11.06.19 को कलेक्टर, जिला सीधी के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: center;">  (बी.एम.शर्मा) सदस्य </p> <p style="text-align: right;">  </p>	